संदर्भ सं. राबैं/उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/एफ़एसडीडी-डीपीआर/647/2021-22

दिनांक : 06 अक्टूबर 2021

नाबार्ड

श्री बिपिन बाजपेई
सचिव, विश्वास संस्थान
3254, भगवंत कौर कालोनी
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

महोदय,

Grant Assistance under FSPF to Vishwas Sansthan for implementing DPR Project on "Promotion of Goat bank Concept with Artificial Insemination in Goat in Raebareli district"

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने ज़िला रायबरेली, राज्य उत्तर प्रदेश में **"Promotion of Goat bank Concept with Artificial Insemination in Goat in Raebareli district"** परियोजना के लिए **कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (FSPF)** से अनुदान सहायता की मंजूरी के लिए विवरण भेजे हैं. इस संबंध में हम आपको सहर्ष सूचित करते हैं कि नाबार्ड ने उक्त परियोजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुदान सहायता मंजूर की है:-

क्र.सं	मद	विवरण
i	परियोजना/ कार्यक्रम	Promotion of Goat bank Concept with Artificial Insemination in Goat in Raebareli district
ii	भौगोलिक अवस्थिति/ विस्तार परियोजना/ कार्यक्रम का स्थान	10 villages in Amawa and Sataw blocks of Raebareli district
iii	कुल वित्तीय परिव्यय (टीएफ़ओ)	Rs.24,67,200/-(Rupees Twenty Four Lakh Sixty Seven Thousand Two Hundred only)
iv	नाबार्ड से अनुदान	Rs.22,13,200/-(Rupees Twenty Two Lakh Thirteen Thousand Two Hundred only)
v	कृषक एवं संस्था योगदान का अंशदान	Rs.2,54,000/-(Rupees Two Lakh Fifty Four Thousand only)
vi	अनुदान का संवितरण	नाबार्ड द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं और करार (रों) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अधीन परियोजना कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर नाबार्ड द्वारा यथा-निर्णीत उपयुक्त किस्तों में अनुदान राशि संवितरित की जाएगी.

2. मंजूरी निम्नलिखित को स्वीकार किए जाने के अधीन है:

क. इस पत्र के अनुबंध I में यथा-निर्धारित कार्यक्रम/ परियोजना प्रदेय;

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 • फोन : +91 522 2307630 • फैक्स : +91 522 2307631 • ईमेल : lucknow@nabard.org
Uttar Pradesh Regional Office
11 Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 • Tel. : +91522 2307630 • Fax : +91 522 2307631 • Email : lucknow@nabard.org

www.nabard.org Taking Rural India >> Forward
Scanned with OKEN Scanner

ख. इस पत्र के अनुबंध II में यथा-निर्धारित **कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि** से अनुदान के मामले में लागू(अनुदान उत्पाद विशिष्ट) सामान्य निबंधन और शर्तें (जीटीसी);

ग. इस पत्र के अनुबंध III में यथा-निर्धारित विशेष निबंधन और शर्तें (एसटीसी) (परियोजना/ कार्यक्रम विशिष्ट);

घ. अनुदान करार (रों) और अन्य दस्तावेजों में निहित सभी प्रसंविदाएं; और

ङ. नाबार्ड द्वारा समय-समय पर **कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि** (निधि से संबन्धित दिशानिर्देश) के अंतर्गत निर्धारित अन्य निबंधन और शर्तें:

3. एजेंसी उपर्युक्त निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में अनुबंध I,II और III को इस मंजूरी पत्र की दूसरी प्रति के साथ संलग्न कर पीआईए के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और पीआईए के महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दूसरी प्रति नाबार्ड को वापस करें।

4. एजेंसी नाबार्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट अनुबंध IV- महत्वपूर्ण व्यक्ति वचनपत्र सह क्षतिपूर्ति (रु.100 के स्टैंप पेपर पर), अनुबंध V- अनुदान करार (रु.100 के स्टैंप पेपर पर), अनुबंध VI- DPN, अनुबंध VII-टेक डेलिवेरी लेटर तथा अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगी।

5. एजेंसी द्वारा अनुदान सहायता के लिए मंजूर परियोजना/ कार्यक्रम के संबंध में सभी बैंकिंग लेनदेन, अदा किए जाने वाले और प्राप्त किए जाने वाले सभी भुगतान, नाबार्ड द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान सहित, नाबार्ड द्वारा स्वीकार्य बैंक में खोले गए बचत/ बैंक न्यास और प्रतिधारिता खाते में किए जाएंगे।

6. जब तक एजेंसी इस अनुदान की मंजूरी के निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने की लिखित सूचना इस मंजूरी पत्र के खंड (2) और (3) में यथा-उल्लिखित तरीके से इस पत्र की प्राप्ति के **15** दिनों के भीतर या नाबार्ड के परम विवेकाधिकार से नाबार्ड द्वारा अनुमत आगे की समय सीमा के भीतर नहीं देती तब तक इस पत्र का यह आशय नहीं लगाया जाएगा कि इससे नाबार्ड पर कोई बाध्यकारी देयता उत्पन्न होती है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय

(डॉ॰प्रभुदत्त साहू)
उप महाप्रबंधक

अनुलग्न: अनुबंध I –VII फ़ारमैट

Scanned with OKEN Scanner